पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 193/2024 दिनांक- 20.06.2024

प्रेस विज्ञप्ति

थाना- तहबरपुर

आवेदिका/पीडिता के खाते से साइबर फ्राड के माध्यम से फ्राड हुए कुल 99,999/- रूपया वापस कराया गया।

पूर्व की घटना:- प्रार्थिनी अल्कमा पुत्री एजाज अहमद साकिन मंझारी थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा आनलाइन शॉपिंग करने पर अज्ञात व्यक्ति मो0नं0 824068xxxxxx द्वारा प्रार्थिनी को फोन करके बताना कि आनलाइन आर्डर होल्ड हो गया है 5 रूपये आनलाइन पेमेन्ट करने को कहना तथा वादिनी द्वारा आनलाइन पेमेन्ट कर देने से वादिनी के खाते से 99,999/- रूपये कट जाना। आवेदिका द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र पर कम्प्यूटर आपरेटर वीरेन्द्र कुमार सरोज द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए साईबर हेल्प लाइन नं0 1930 पर काल कर एकनालेजमेन्ट नं0 331102301xxxxxx दर्ज कराकर पीड़िता का पैसा होल्ड कराया गया तथा अभियुक्त के खाता सख्या व खाताधारक के नाम पते की जानकारी प्राप्त करने हेतु साइबर सेल को रिपोर्ट प्रेषित की गयी तथा इसी सम्बन्ध में दिनांक 16.04.2024 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 94/2024 धारा 66 डी आई.टी एक्ट बनाम अज्ञात व्यक्ति नाम पता अज्ञात मोबाइल नं0 824068xxxxx के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना प्रचलित है।

रूपया वापसी का विवरण:-- आवेदिका अल्कमा पुत्री एजाज अहमद साकिन मंझारी थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ की जाँच विधिक कार्यवाही के क्रम में साइबर सेल के मुख्य आरक्षी मुकेश कुमार द्वारा ICICI बैंक खाता संख्या 7862015xxxxx के खाता धारक का नाम पता तथा बैंक डीटेल प्राप्त करायी गयी। उपरोक्त खाता श्री शंभूसिंह पता नारायणपुर, पचरूखी, नारायणपुर – सिवान राज्य बिहार भारत 841241 के नाम से पंजीकृत है। आवेदिका का पैसा आवेदिका के खाते में मुक्त किये जाने सम्बन्धित मा0 न्यायालय आजमगढ़ द्वारा रिलीज कोर्ड आर्डर बनवाया गया। कम्प्यूटर आपरेटर वीरेन्द्र कुमार सरोज द्वारा सम्बन्धित बैंक के शाखा प्रबन्धक को रिलीज कोर्ड आर्डर व अन्य कागजात जरिये मेल प्रेषित किया गया। तत्पश्चात सम्बन्धित बैंक शाखा प्रबन्धक द्वारा विधिक कार्यवाही करते हुए आवेदिका के खाते में 99,999/- रूपया दिनांक 10.06.2024 को अवमुक्त कर दिया गया। जिसकी जानकारी आवेदिका को दिनांक 19.06.2024 को हुई। करीब 04 माह बाद आवेदिका साइबर फ्राड द्वारा 99,999/- रू0 पाकर पुलिस का आभार व्यक्त किया है।

साइबर पुलिस टीम:-

थाना प्रभारी व0उ0नि0 संजय कुमार सिंह थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़
कम्प्यूटर आपरेटर वीरेन्द्र कुमार सरोज थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़
हे0का0 विनोद कुमार थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़
हे0का0 मुकेश कुमार साइबर सेल जनपद आजमगढ़
का0 अमित कुमार सिंह थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

थाना सरायमीर

किशोरी को भगाने का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना/ -

दिनांक 13.058.2024 को वादी मुकदमा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि विपक्षी सनी पुत्र मुन्नीलाल द्वारा वादी मुकदमा की नाबालिक पुत्री को शादी का झांसा देकर दिनांक 12.05.2024 को समय करीब 12.00 बजे दिन में भगा ले गया है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 255/24 धारा 363/366/120बी/504/506 भादवि बनाम सनी पुत्र मुन्नीलाल निवासी ग्राम शेरवा थाना सरायमीर उम्र करीब 21 आदि नफर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण-

मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सनी पुत्र मुन्नीलाल निवासी ग्राम शेरवा थाना सरायमीर आजमगढ उम्र करीब 21 को अपराध का बोध कराते हुए दिनांक 19.06.2024 को समय करीब 17.25 मिनट पर गिरफ़्तार कर अभियुक्त को चालान मा0न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0स0 255/24 धारा 363/366/120बी/504/506 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-सनी पुत्र मुन्नीलाल निवासी ग्राम शेरवा थाना सरायमीर आजमगढ उम्र करीब 21

गिरफ्तार करने वाले टीम-

1. व0उ0नि0संदीप शर्मा मय हमराह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।

थाना मुबारकपुर

चोरी की दो मोटरसाइकिल नम्बर प्लेट बदलकर चलाने वाले 02 अभियुक्त अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटनाः- दिनांक 10.06.2024 को वादी मुकदमा मयंक यादव पुत्र रामअशीष यादव ग्राम हरैया पो0 सठियाव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ थाना उपस्थित आकर एक किता तहरीर बावत दिनांक 08.06.2024 को दिन मे लगभग 11.30 बजे से 12.00 बजे के मध्य मोटर साइकिल नं0 UP50AY2143 जो कि वादी मुकदमा के दुकान के सामने हरैया मोड़ खडी थी। वही से किसी अज्ञात चोर द्वारा चुरा लिया गया के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 228/2024 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात चोर के पंजीकृत हुई जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री रामअवध यादव द्वारा सम्पादित की जा रही हैं।

गिरफ्तारी का विवरणः- आज दिनांक 20.06.2024 को प्रभारी निरीक्षक निरीक्षक निहार नन्दन कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1.राज विश्वकर्मा पुत्र रामदुलारे विश्वकर्मा निवासी सुन्दरसराय बल्लो थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़, 2.रवि मौर्य पुत्र साहब मौर्या निवासी सुन्दर सराय बन्जरवा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को गुजरपार पुलिसया मुबारकपुर से दो मोटरसाईकिल व 01 ओप्पो मोबाईल बरामद किया गया।

कडाई से पूछने पर उसने बताया कि यह मोटरसाईकिल हरैया से मैने तथा राज विश्वकर्मा व अर्जुन चौहान पुत्र सुरेन्द्र चौहान निवासी कोकिलपार थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ हम तीनों मिलकर चुराये थे। अर्जुन चौहान मोटरसाईकिल के पीछे बैठा था जो कूदकर भागा है गाडी के चेचिस नम्बर- MD2A11CY3HRA45141 से ई0 चालान ऐप से चेक किया गया तो मोटरसाईकिल पल्सर का रजिस्ट्रेशन नम्बर UP50AY2143 तथा इंजन नम्बर DHYRHA30958 है तथा वाहन स्वामी रामआशीष यादव ग्राम हरैया थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के नाम पर पंजीकृत है। अभियुक्तों को समय करीब 07.40 बजे दिन मे हिरासत पुलिस मे लिया गया बरामद दोनो मोटरसाईकिल को कब्जा पुलिस मे लिया गया। मु0अ0सं0 228/2024 धारा 379 भादवि में धारा 411,420,467,468,471 भादवि की बढोत्तरी की गयी तथा अभियुक्तगण 1.राज विश्वकर्मा पुत्र रामदुलारे विश्वकर्मा निवासी सुन्दरसराय बल्लो थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़, 2.रवि मौर्य पुत्र साहब मौर्या निवासी सुन्दर सराय बन्जरवा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़, 3.अर्जुन चौहान पुत्र सुरेन्द्र चौहान निवासी कोकिलपार थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया तथा एक तमंचा .32 बोर तथा एक जिन्दा कारतूस .32 बोर, बरामद के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 237/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

बरामदगी का विवरणः-

1. एक तमंचा .32 बोर तथा एक जिन्दा कारतूस .32 बोर,
2. 02 मोटरसाइकिल

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.राज विश्वकर्मा पुत्र रामदुलारे विश्वकर्मा निवासी सुन्दरसराय बल्लो थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़,

2.रवि मौर्य पुत्र साहब मौर्या निवासी सुन्दर सराय बन्जरवा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोगः-

1- मु0अ0सं0 237/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्तः- राज विश्वकर्मा पुत्र रामदुलारे विश्वकर्मा निवासी सुन्दरसराय बल्लो थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

1) मु0अ0सं0 762/2022 धारा 411,414 भादवि थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़
2) मु0अ0सं0 03/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़
3) मु0अ0सं0 298/2022 धारा 379,411 भादवि थाना बिलरियागंज, आजमगढ़
4) मु0अ0सं0 228/2024 धारा 379,411,414,420,467,468,471 भादवि थाना मुबारकपुर, आजमगढ़
5) मु0अ0सं0 237/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

अभियुक्तः- रवि मौर्य पुत्र साहब मौर्या निवासी सुन्दर सराय बन्जरवा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

1. मु0अ0सं0 126/2021 धारा 379,411 भादवि थाना कोतवाली जनपद मऊ
2. मु0अ0सं0 225/2021 धारा 379,411,419,420,467,468,471 भादवि थाना कोतवाली जनपद मऊ
3. मु0अ0सं0 228/2021 धारा 379,411 भादवि थाना कोतवाली जनपद मऊ
4. मु0अ0सं0 389/2021 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली जनपद मऊ
5. मु0अ0सं0 154/2021 धारा 411,413,414,419,420,467,471 भादवि थाना दोहरीघाट जनपद मऊ
6. मु0अ0सं0 228/2024 धारा 379,411,414,420,467,468,471 भादवि थाना मुबारकपुर, आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

प्र0नि0 निहार नन्दन कुमार थाना मुबारकपुर, आजमगढ़

उ0नि0 संजय कुमार सिंह थाना मुबारकपुर, आजमगढ़

हे0का0 प्रमोद कुमार यादव थाना मुबारकपुर, आजमगढ़

थाना सरायमीर

किशोरी के साथ छेड़खानी करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/ -

दिनांक 01.04.2024 को वादिनी मुकदमा थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ के द्वारा प्रा0पत्र दिया गया कि दिनांक 31.03.24 निजामुदीन पट्टी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ के दो लड़के आये जिनका नाम बीरु गौतम पुत्र अज्ञात , और मेण्टी गौतम पुत्र गुलाब चन्द्र के द्वारा वादिनी मुकदमा की पुत्री के साथ छेडखानी करने लगा जब मेरी पुत्री शोर मचाने लगी तो उपरोक्त लड़के मेरी पुत्री को गाली गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी देकर भाग गये। आवेदिका के दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 155/24 धारा 354/504/506 भादवि व 7/8 पास्को एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ बनाम वीरू गौतम पुत्र छट्ठू व मौन्टी गौतम पुत्र गुलाब निवासीगण निजामुद्दीनपट्टी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 20.06.2024 को उ0नि0 मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त का वांछित अभियुक्त वीरू गौतम पुत्र छट्ठू निवासी निजामुद्दीनपट्टी सेन्दूरी थाना सरायमीर आजमगढ़ उम्र 27 वर्ष को अभियुक्त के घर से समय करीब 03.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा गिरफ्तारशुदा अभियुक्त आज दिनांक 20.06.2024 को चालान मा0न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 155/24 धारा 363/354/504/506 भादवि व 7/8 पास्को एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ,विवेचना के आधार पर 363 की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-वीरू गौतम पुत्र छट्ठू निवासी निजामुद्दीनपट्टी सेन्दूरी थाना सरायमीर आजमगढ़ उम्र 27 वर्ष

गिरफ्तार करने वाले टीम-

1.उ0नि0 अखिलेश यादव मय हमराह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

थाना –मेंहनाजपुर

मोटरसाइकिल छिनकर भागने वाले वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना:-

दिनांक 19.06.24 को आवेदक आनन्द यादव पुत्र स्व0 रामपलट यादव ग्राम व पोस्ट कूबा खास थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़ ने तहरीर दिया कि दिनांक 11-06-2024 को समय करीब रात 08.45 बजे रात को सोनियापार मेंहनाजपुर रोड पर भगवानपुर गाँव के पास मेरी मोटरसाइकिल पल्सर बाइक UP62CB3382, को अविनाश यादव पुत्र स्व0 भरत यादव निवासी कूढा लम्बी थाना खानपुर जनपद गाजीपुर तथा धीरज यादव पुत्र सन्तोष यादव व लकी यादव पुत्र रामसमुझ यादव निवासीगढ़ सोनियापर थाना खानपुर जनपद गाजीपुर व एक व्यक्ति अज्ञात द्वारा रोककर मुझे लाठी डन्डा से मारकर ,पीटकर मेरा मेट्रोला का मोबाईल तथा पल्सर मोटरसाइकिल (UP62CB3382) छीनकर व जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये कि तहरीरी सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 102/24 धारा 323/325/504/506/392 भादवि थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ वादी मुकदमा श्री आनन्द यादव पुत्र स्व0 रामपलट यादव निवासी कूबाखास थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ बनाम 1. अविनाश यादव पुत्र स्व0 भरत यादव निवासी कूढा लम्बी थाना खानपुर जनपद गाजीपुर 2. धीरज यादव पुत्र सन्तोष यादव 3. लक्की यादव पुत्र रामसमुझ यादव निवासीगढ़ सोनियापर थाना खानपुर जनपद गाजीपुर 4. एक व्यक्ति नाम व पता अज्ञात पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना थानाध्यक्ष श्री हीरेन्द्र प्रताप सिंह के द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण :-

दिनांक 19.06.24 को थानाध्यक्ष श्री हीरेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित दो अभियुक्त 1.अनुज उर्फ लकी यादव पुत्र रामसमुझ यादव नि0 सोनियापुर थाना खानपुर जनपद गाजीपुर, 2.सचिन उर्फ धीरज यादव पुत्र संतोष यादव नि0 सोनियापुर थाना खानपुर जनपद गाजीपुर को जियापुर पुलिया के पास से समय करीब 08.15 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। बाद उपरोक्त कार्यवाही आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग–

1-मु0अ0स0 102/24 धारा 323/325/504/506/392 भादवि थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास :- मु0अ0स0 102/24 धारा 323/325/504/506/392 भादवि थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़

सचिन उर्फ धीरज यादव—

1-मु0अ0स0 168/21 धारा 34,323,307 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना खांनपुर जनपद गाजीपुर

गिरफ्तार अभियुक्त :-

1.अनुज उर्फ लकी यादव पुत्र रामसमुझ यादव नि0 सोनियापुर थाना खानपुर जनपद गाजीपुर

2.सचिन उर्फ धीरज यादव पुत्र संतोष यादव नि0 सोनियापुर थाना खानपुर जनपद गाजीपुर

बरामदगी : 02 डंडा बरामद

गिरफ्तार करने वाली टीम :-

1. थानाध्यक्ष श्री हीरेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह थाना मेंहनाजपुर ,आजमगढ़

थाना अतरौलिया

छेड़खानी करने का आरोपी बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

पूर्व का विवरण - दिनांक 18.06.24 को थाना अतरौलिया के अन्तर्गत वादीनी मुकदमा के लिखित तहरीर बावत वादीनी की पुत्री उंम्र लगभग 17 वर्ष के साथ विपक्षी द्वारा छेडखानी करने व मना करने पर गाली गलौज व मारपीट करने के सम्बन्ध में दिया गया जिसके आधार पर थाना हाजा मु0अ0सं0 219/24 धारा 323,504,506,354 भादवि व 3(1)द , 3(1)ध व 3(2)(va) SC/ST व 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी बूढनपुर महोदय द्वारा सम्पादित की जा रही है।

पुलिस सरंक्षण में लेने का विवरणः- आज दिनांक 20.06.2024 को उ0नि0 राजेन्द्र कुमार , हे0का0 मनोज यादव व का0 कुलदीप यादव द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित आरोपी बाल अपचारी मदियापार के पास समय करीब 10.05 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

थाना कन्धरापुर

चोरी गये चेन के साथ 02 अभियुक्ता गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण- वादिनी श्रीमती नीतू सिंह D/O मधुसूदन सिंह ग्राम देवखरी थाना कन्धरापुर जिला आजमगढ़ के द्वारा एक प्रा0पत्र दी कि दिनांक 19.06.2024 को मै भँवरनाथ मन्दिर से करतालपुर जा रही थी, इसी बीच मे मेरे गले से दो महिलाये मेरा चैन खींच रही थी तो मैने उनका हाथ पकड़ा लिया और उनके हाथ से अपना चैन छीनकर मै चिल्लाई तो दो तीन लोग मौके पर आये और उन दोनों महिलाओं को पकड़कर पुलिस को बुलाये पुलिस के आने पर उन्होने अपना नाम 1.रीना पत्नी संतोष हरिजन ग्राम कौखभार P.S बिलरियागंज 2. पूनम पत्नी राजकुमार ग्राम कौखभार P.S बिलरियागंज जनपद आजमगढ बताये तथा थाने की पुलिस उन लोगों लेकर थाने आयी। तब वादिनी के द्वारा थाना कन्धरापुर पर आकर मु0अ0सं0 173/24 धारा 379 भादवि बनाम 1.रीना पत्नी संतोष हरिजन ग्राम कौखभार P.S बिलरियागंज 2. पूनम पत्नी राजकुमार ग्राम कौखभार P.S बिलरियागंज जनपद आजमगढ के विरूद्ध दिनांक 19.06.2024 समय 23.50 बजे पंजीकृत कराया गया।

उ0नि0 श्री हौसिला प्रसाद सिंह मय हमराह म0आ0 सरिता यादव म0आ0 रागिनी पाठक के द्वारा अभियुक्त1.रीना पत्नी संतोष हरिजन ग्राम कौखभार P.S बिलरियागंज 2. पूनम पत्नी राजकुमार ग्राम कौखभार P.S बिलरियागंज जनपद आजमगढ को दिनांक 20.06.2024 को समय 00.25 बजे अपराध का बोध कराते हुये भँवरनाथ से करीब 50 मीटर आगे करतालपुर रोड पर, हिरासत पुलिस में लिया गया। बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त

1.रीना पत्नी संतोष हरिजन उम्र करीब 35 वर्ष

2. पूनम पत्नी राजकुमार उम्र करीब 29 वर्ष निवासीगण ग्राम कौखभार P.S बिलरियागंज जनपद आजमगढ।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 173/24 धारा 379/411 भादवि थाना कंधरापुर आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

बरामदगी – एक सोने की चैन।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 श्री हौसिला प्रसाद सिंह मय हमराह थाना कंधरापुर आजमगढ़।

थाना कन्धरापुर

किशोरी के साथ छेड़खानी करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण- वादिनी थाना कन्धरापुर जिला आजमगढ़ के द्वारा एक प्रा0पत्र दी कि दिनांक 14.06.2024 को समय 10.00 बजे रात्रि को मैं अपनी लडकी (13 वर्ष) के साथ सोयी थी तभी अचानक जयहिन्द यादव पुत्र स्व0 रविन्द्र यादव आकर मेरी लडकी का हाथ पकडकर खीचने लगा और उसके साथ छेडखानी करने की कोशिश किया, लड़की द्वारा विरोध करने पर जाति सूचक शब्द का प्रयोग करके गाली देने लगा। तभी शोर सराबे सुनकर मैं जाग गयी और उसे पकडने की कोशिश की तो वह गाली देते हुये और मारने की धमकी देते हुये भाग गया जिसके सम्बन्ध में वादिनी के द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 169/2024 धारा 354/504/506 भादवि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट व 3(1)द, 3(1)ध, व 3(2)va SC/ST ACT बनाम जयहिन्द यादव पुत्र स्व0 रविन्द्र यादव ग्राम मड्या थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ के विरूद्ध दिनांक 16.06.2024 को पंजीकृत करायी है।

गिरफ्तारी का विवरण –

दिनांक 20.06.2024 को प्र0नि0 श्री सुदेश कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त जयहिन्द यादव पुत्र स्व0 रविन्द्र यादव ग्राम मड्या थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ को सेहदा पूर्वांचल एक्स प्रेस वे कट के पास से समय 08.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- जयहिन्द यादव पुत्र स्व0 रविन्द्र यादव ग्राम मड्या थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0स0 169/2024 धारा 354/504/506 भादवि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट व 3(1)द, 3(1)ध, व 3(2)va SC/ST ACT थाना कंधरापुर आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री सुदेश कुमार सिंह मय हमराह थाना कंधरापुर आजमगढ़।

थाना- जीयनपुर

डी-164 गोवध गैंग का सदस्य अवैध तमंचा के साथ गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक-19/06/2024 को उ0नि0 अभिषेक यादव मय हमराह बागखालिस चौराहा पर चेकिंग कर रहा थे, सूचना मिली कि एक व्यक्ति अलीपुर नहर पुलिया के पास खडा है जिसके पास नजायज तमंचा है , इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुँची उक्त व्यक्ति को पकड़ ली, पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम अमजद उर्फ भुचल्ला पुत्र अच्छन उर्फ बच्चन उर्फ बाबू खान नि0ग्राम खालिसपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ उम्र 37 वर्ष बताया तथा उसके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर तथा एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। अभियुक्त का यह कार्य धारा 3/25 आयुध अधिनियम का दण्डनीय अपराध बताते हुये समय 21.05बजे हिरासत पुलिस लिया गया बरामदगी /गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 284/2024 धारा 3/25 A ACT बनाम अमजद उर्फ भुचल्ला पुत्र अच्छन उर्फ बच्चन उर्फ बाबू खान नि0ग्राम खालिसपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1-अमजद उर्फ भुचल्ला पुत्र अच्छन उर्फ बच्चन उर्फ बाबू खान नि0ग्राम खालिसपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ उम्र 37 वर्ष

बरामदगी का विवरणः- एक तमंचा .315 बोर व एक जिन्दा कारतूस .315 बोर

पंजीकृत अभियोग- 1. मु0अ0स0 284/2024 धारा 3/25 A ACT थाना जीयनपुर आजमगढ़

अपराधिक इतिहास-

1.मु0 अ0 सं0 036/2017 धारा 3/5ए/8 गोवध नि0 अधि0 थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ

2.मु0 अ0 सं0 333/2017 धारा 3/5/8 गोवध नि0 अधि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ

3.मु0 अ0 सं0 202/2018 धारा 3(1) यू0 पू0 गैगेस्टर एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ

4.मु0 अ0 सं0 332/2018 धारा 323/324/504/506 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ

5.मु0 अ0 सं0 167/2019 धारा 3/5/8 गोवध नि0 अधि0 थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ

6.मु0 अ0 सं0 94/2020 धारा 3(1) यू0 पू0 गैगेस्टर एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ

7.मु0 अ0 सं0 115/2020 धारा 188/269/270 भादवि व 51/53/56 आपदा प्रबन्धन अधिनियम व 3 महामारी एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ

8.मु0 अ0 सं0 025/2021धारा 401 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ

9.मु0 अ0 सं0 086/2022 धारा 379/411/413 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 अभिषेक यादव मय हमराह थाना जीयनपुर आजमगढ़

थाना- रौनापार

चोरी गये आभूषण के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –

वादी रामप्रसाद साहनी पुत्र कुमार साहनी निवासी ग्राम भैसाड़ थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के लिखित प्रार्थना पत्र पर दिनांक 14.06.24 की रात्रि लगभग 24.00 बजे गांव के ही श्यामदेव साहनी पुत्र रामाश्रय साहनी द्वारा वादी के घर का ताला तोड़कर घर से दो थान जेवर (एक जोड़ा पायल व बिछुआ) लगभग 2 कुन्तल चावल व दो हजार रूपये उठा ले जाने के सम्बन्ध मे थाना रौनापार पर मु0अ0सं0 255/24 धारा 457/380 भादवि बनाम श्यामदेव साहनी पुत्र रामाश्रय साहनी निवासी ग्राम भैसाड़ थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण –

उ0नि0 उमाशंकर मय हमराह द्वारा आज दिनांक 20.06.2024 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त श्यामदेव साहनी पुत्र रामाश्रय साहनी निवासी ग्राम भैसाड़ थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को ग्राम बनकटा तिराहा पुल के साप से समय 08.30 बजे अभियुक्त उपरोक्त को हिरासत पुलिस मे लिया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 255/24 धारा 457/380 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 260/23 धारा 457/380 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- . मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः- श्यामदेव साहनी पुत्र रामाश्रय साहनी उम्र 23 वर्ष मूल पता ग्राम मोहनपुर पौहरिया थाना बड़गलगंज जिला गोरखपुर हाल पता ग्राम भैसाड़ थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ (ननिहाल)

बरामदगी-

1- एक जोड़ी पायल सफेद धातु व 2350 रुपये नगद पीली धातु की किले बरामद व छोटी बड़ी कुल 16 नग बरामद हुआ है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 उमाशंकर मय हमराह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

2.उ0नि0 सूरज कुमार चौधरी मय हमराह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट

साइबर क्राइम सेल, जनपद आजमगढ़।

क्रेडिट कार्ड लिमिट फ्राड एवं आनलाइन लोन फ्राड से पीड़ित दो व्यक्तियो का रूपया 1,89,971/- की ठगी का पैसा बरामद

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य के द्वारा साइबर क्राइम अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में नोडल अधिकारी साइबर क्राइम विवेक त्रिपाठी के मार्गदर्शन में साइबर सेल जनपद आजमगढ़ द्वारा कार्यवाही करते हुए दो व्यक्तियों का रूपया-1,89,971/- वापस कराया गया।

घटना का विवरण-

क्रेडिट कार्ड फ्राड- आवेदक सीआईएसएफ के जवान हैं, जो चुनाव ड्यूटी के दौरान जनपद आजमगढ़ आये थे। दिनांक 09.04.2024 को आवेदक को अज्ञात नम्बर से काल आयी जिसपर फोन करने वाले ने अपने आप को आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट का बताते हुए आवेदक से उनके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का आफर दिया। इसपर आवेदक ने साइबर धोखाधड़ी करने वालों द्वारा भेजे गए लिंक को क्लिक कर दिया गया। जिसके बाद आवेदक के मोबाइल में मौजूद सभी एप्लीकेशन आदि को साइबर अपराधियों द्वारा रिमोटली अपने कन्ट्रोल में ले लिया गया और आवेदक के क्रेडिट कार्ड से रूपया 89991 डेविट कर लिया गया।

कार्यवाही- उक्त घटना के पश्चात आवेदक ने साइबर सेल में अपनी रिपोर्ट की जिसकी सूचना पर तत्काल साइबर सेल द्वारा जांच किया गया तो ज्ञात हुआ कि आवेदक के पैसे से एचडीएफसी का गिफ्ट कार्ड खरीदा गया है जिसको तत्काल ब्लाक कराते हुए आवेदक का पूरा पैसा वापस कराया दिया गया।

जनसामान्य से अनुरोध- अज्ञात व्यक्तियों द्वारा भेजे गए लिंक को क्लिक न करें इससे आपके फोन का नियंत्रण दूसरे व्यक्ति के पास जा सकता है।

आनलाइन लोन फ्राड- आवेदक श्री मंगेश प्रजापति निवासी थाना अतरौलिया के मोबाइल पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा दिनांक 10.06.2024 को काल कर दस लाख रूपये कम ब्याज वाले लोन देने का लालच भरा मैसेज आया जिसके झांसे में आकर आवेदक ने अभियुक्तों द्वारा भेजे गये लिंक पर क्लिक कर दिया गया, जिससे आवेदक के मोबाइल का एक्सेस साइबर अपराधियों को मिल गया तथा साइबर अपराधियों ने आवेदक के खाते से सारा पैसा(एक लाख रुपये)निकाल लिया गया।

कार्यवाही- उक्त साइबर फ्राड की जानकारी होते ही साइबर सेल द्वारा जांच करनें पर ज्ञात हुआ कि आवेदक का पैसा एक्सिस बैंक में गया है जिसको त्वरित कार्यवाही करते हुए तत्काल साइबर अपराधियों द्वारा निकाले गये रूपयों को ब्लाक कराते हुए आवेदक का पूरा पैसा उसके खाते में वापिस कराया गया।

जागरूकता- किसी भी प्रकार के अनजान लिंक पर बिना सोचे समझे क्लिक न करें यह साइबर अपराधियों की चाल हो सकती है। किसी भी प्रकार के लोन के लिए सिर्फ अधिकृत बैंक में ही सम्पर्क करें। किसी भी प्रकार की शिकायत हेतु 1930 हेल्पलाइन अथवा 112 हेल्पलाइन नम्बर डायल करें अथवा साइबर सेल/थाना पर संपर्क कर सकते हैं। आर्थिक साइबर अपराधों की सूचना तीन दिवस में साइबर सेल/साइबर थाना पर देने पर संपूर्ण धन वापस कराया जा सकता है।